न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 60 / 2012 (उदयपुर आर्डर)

गंगाराम पिता श्री परथा गाडरी, निवासी पालना खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. भग्गा गाडरी पिता श्री परथा गाडरी, निवासी पालना खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय
न्या0 जिला कलक्टर उदयपुर, दिनांक
13.03.2012 प्रकरण संख्या 13 / 2010

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री सुखलाल डिडेल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 19–05–1983 को ग्राम पालना खुर्द की आराजी नंबर 2487 रकबा 5 बीघा भूमि के नियमन का आदेश दिया, जो नियम विरूद्ध है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा है, न अभी है। अतः नियमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है। विपक्षी ने किसी शर्त की पालना नहीं की है। विपक्षी संख्या 2 को खातेदारी गलत दी गयी है। भूमि का लगान भी प्रार्थी ही जमा कराता है। विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 3559 / 2467 से मिली हुई है। कथित नियमन धोखे से कराया गया है। अतएवं नियमन आदेश निरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

प्रार्थी ने आवेदन के साथ आवंटन आदेश तथा लगान की कुछ अस्पष्ट रसीदें प्रस्तुत की तथा खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2035 प्रस्तुत की गयी, जिसमें आराजी नंबर 2467 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा बिलानाम भूमि पर 8 बीघा भूमि पर भग्गा का कब्जा होने का विवरण अंकित है।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने का तथ्य वर्णित करते हुए प्रार्थी को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–03–2012 से प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–09–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत तामिल नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर प्रकरण में त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 12–08–2012 को हुआ। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की प्रापर तामिल नहीं करायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने तामिल होना माकनर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में भूल की है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने सही तथ्यों को छुपाकर आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने 30 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त करने में भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को भी आराजी नंबर 2467 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा में से 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है तथा अपीलान्ट को भी 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अपनी खातेदारी की आराजी नंबर 2467 मिली हुई जमीन बतायी है तथा अपीलान्ट की भूमि पर अपना कब्जा बताया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने सही होना मानकर अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के आवंटन को निरस्त करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने गिरदावरी व लगान की रसीदों को ध्यान में रखे बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की भूमि की विधिवत जांच कर उसे दिनांक 21–05–1993 को खातेदार घोषित किया गया है। खातेदारी प्राप्त होने के 19 वर्षो बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा आराजी नंबर 2467 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा में से 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि आराजी नंबर 3559/2467 प्रार्थी शिकायतकर्ता भग्गा को आवंटित किये जाने का नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 03–09–1983 तथा उक्त आराजी न ंबर 3559/2467 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा की प्रार्थी भग्गा को खातेदारी दिये जाने का नामान्तरकरण संख्या 593 जो माह मार्च 1993 में स्वीकृत हुआ है, उसकी भी प्रमाणित प्रति पेश की है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट आवंटी को अधिनस्थ न्यायालय का नोटिस उसकी पत्नी को तामिल होना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे नोटिस तामिल नहीं हुआ है, प्रथम दृष्टया मान्य नहीं है। परन्तु जहां तक किसी आवंटी के आवंटन को निरस्त किये जाने का प्रश्न है तथा आवंटी/अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहता है तो भी शिकायतकर्ता को आवंटन निरस्त करवाये जाने के लिए अपने आवेदन को प्रमाणित किये जाने का दायित्व रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह कथन किया गया है कि विवादित 5 बीघा भूमि जो अपीलान्ट/विपक्षी को आवंटित हुई है, उस पर उसका कब्जा है, परन्तु

विवादित आराजी पर उसका कब्जा होने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत आवंटी के भाई शिकायतकर्ता को भी 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटित हो उसके खातेदारी अधिकार उसे दिये जा चुके हैं। विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1983 में अपीलान्ट/विपक्षी को किया जाकर वर्ष 1993 में उसे खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके हैं। खातेदारी दिये जाते समय आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी तहसीलदार की है तथा आवंटन के 10 वर्ष बाद खातेदारी मिल जाने के बाद आवंटन के 27 वर्षो बाद तथा खातेदारी मिलने के 17 वर्षो बाद आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी को यह प्रमाणित करवाना था कि आवंटन निरस्त किये जाने का क्या पुख्ता आधार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के भार सिद्ध उक्त तथ्यों का प्रमाणन हुए बिना ही 27 वर्ष पूर्व के आवंटन को सिर्फ अपीलान्ट/विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण तथा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना मानकर आवंटन निरस्त कर दिया है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/आवंटी के आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के भार सिद्ध तथ्यों के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद आवंटन के 27 वर्षो बाद पेश किये गये आवंटन को आवंटन के 30 वर्षो बाद निरस्त कर दिया है, जिसे हम तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–03–2012 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्ट/आवंटी को किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर